कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी एवं जैव विविधता संरक्षण) सह मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक, छत्तीसगढ़

सेक्टर–19, नार्थ ब्लाक, अरण्य भवन, प्रथम तल, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

cwlwcg@gmail.com, (0771-2512880, 0771-2512881)

क्रमांक/व.प्रा./प्रबंध/ 2637 नवा रायपुर, दिनांक :–20.06.2024

प्रति

वनमंडलाधिकारी
सूरजपुर/कोरिया वनमंडल
छत्तीसगढ़

ओ.एफ.सी.
महत्वपूर्ण

12215
6.24

विषय :– **संरक्षित क्षेत्रों में ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने के संबंध में।**

संदर्भ :– 1. वनमंडलाधिकारी कोरिया वनमंडल का पत्र क्रमांक/166 दिनांक 30.01.2023
2. सूरजपुर वनमंडल का पत्र क्रमांक/460 दिनांक 26.02.2024 जो कि मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वनवृत्त, अंबिकापुर को संबोधित है।

—00—

विषयांतर्गत लेख है कि संदर्भित पत्र क्रमांक–1 के द्वारा यह अवगत कराया गया है कि आवेदक जियो डिजिटल फायबर प्रा.लि. द्वारा ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु प्रस्तातिव वनभूमि 3.309 हे. में से गुरू घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के 10 कि.मी. परिधि में आरक्षित वन 0.468 हे. एवं संरक्षित वन 0.727 हे. कुल 1.195 हे. क्षेत्र के लिये अभिमत प्रदान करने हेतु इस कार्यालय को लेख किया गया था।

2/– संदर्भित पत्र क्रमांक–2 के अनुसार सूरजपुर वनमंडल अंतर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु क्षेत्रफल 7.396 हे. के प्रकरण के 10 कि.मी. परिधि में तमोर पिंगला, सेमरसोत अभ्यारण्य एवं गुरू घासीदास राष्ट्रीय उद्यान स्थित होने का उल्लेख है।

3/– कार्यालयीन यू.ओ. टीप दिनांक 14.03.2024 के द्वारा उपरोक्त दोनों प्रकरण को छत्तीसगढ़ राज्य वन्यजीव बोर्ड के गठन न होने के फलस्वरूप अध्यक्ष महोदय से समन्वय से अनुमोदन प्राप्त करने हेतु लेख किया था, जिसे छत्तीसगढ़ शासन के पत्र क्रमांक/1820 दिनांक 22.05.2024 से अनुमोदित किया गया है।

अतः उपरोक्त प्रकरणों के परिप्रेक्ष्य में अनुमति प्राप्त करने हेतु छ.ग. राज्य वन्यजीव बोर्ड के निर्धारित प्रपत्र 1 से 3 में जानकारी पूर्ण कर उचित माध्यम से यथाशीघ्र प्रस्ताव इस कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करें।

संलग्न :– **उपरोक्तानुसार।**

20/6/24

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी)
छत्तीसगढ़, नवा रायपुर

Divisional Forest Officer
Korea Division
Baikunthpur
20-06-24

क्रमांक/व.प्रा./प्रबंध/ 2638 नवा रायपुर, दिनांक :–20.06.2024

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वन वृत्त, अंबिकापुर।
2. वन संरक्षक (व.प्रा.) एलीफेन्ट रिजर्व, सरगुजा, अंबिकापुर।

20/6/24

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी)
छत्तीसगढ़, नवा रायपुर

153

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़

अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, कैपिटल काम्पलेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर - 492002

(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू–प्रबंध)

दूरभाष: 0771 – 2512840 ई – मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र./भू–प्रबंध/ विविध–1ए/115–908 ए/ 10 दिनांक 03/12/2023

प्रति,

वन मंडलाधिकारी
कोरिया वनमंडल, बैकुण्ठपुर
छत्तीसगढ़

विषय :– **Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 Proposed for Jio Digital Fiber Pvt. Ltd. Raipur laying Optical Fiber Cable (OFC) Line in Korea Forest Division under Chhattisgarh State, area- 3.309 ha. पंजीयन क्रमांक/ FP/CG/OFC/146529/ 2021**

संदर्भ:– 1. छ.ग. शासन वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग मंत्रालय का पत्र क एफ 05–23/2022/10–2 दिनांक 07.12.2022

2. मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वृत्त का पत्र क्रमांक/मा.चि./न.क.–149/2022/3360 दिनांक 22.12.2022

※ ※ ※ ※ ※

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र–2 द्वारा आवेदक संस्थान जियो डिजिटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड हेतु कोरिया जिले के कोरिया वनमंडल अंतर्गत मार्गो के सामानान्तर वन भूमि एवं राजस्व वन भूमि में 66.180 कि.मी. सड़क के किनारे राईट ऑफ वे वन भूमि का रकबा 3.707 हे. एवं राजस्व वन भूमि का रकबा 0.202 कुल रकबा 3.309 हे. वन भूमि पर आप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत गैर वानिकी उपयोग हेतु प्रेषित प्रस्ताव का नोडल कार्यालय द्वारा परीक्षण किये जाने पर ऑनलाईन एवं ऑफलाईन त्रुटियां पायी गई है जो निम्नानुसार है –

पूर्व में आवेदनकर्ता महाप्रबंधक, जियों डिजिटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड रायपुर द्वारा बलौदाबाजार जिले के बलौदाबाजार वनमंडल अंतर्गत भूमिगत आप्टिकल फायबर केबल बिछाने के गैर वानिकी कार्य हेतु प्राप्त प्रस्ताव को छ.ग. शासन वन विभाग को प्रेषित किया गया था। छ.ग. शासन वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग मंत्रालय के संदर्भित पत्र–1 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा प्रस्ताव में ली गई आपत्तियों की विषयांकित प्रस्ताव में पूर्ति करना सुनिश्चित करें।

आनलाईन त्रुटियां

1. आनलाईन कॉलम नं. 8 (iii) एवं (iv) में No का उल्लेख कर जानकारी अपलोड किया गया है परन्तु वन मंडलाधिकारी के प्रपत्र–3 के बिन्दु 10 में Eco-sensitive Zone से 10 कि.मी के दायरे में है का उल्लेख किया गया है जिसमें सुधार किया जाना होगा एवं प्रधान मुख्य वन सरक्षक (वन्यप्राणी) से अभिमत लिया जाना होगा।
2. Time Line में मुख्य वन संरक्षक का हस्ताक्षर नहीं है, हस्ताक्षरित संलग्न करे।
3. आफलाईन लिये गये आपत्तियों को वेब पोर्टल में अपलोड जानकारी से अपडेट किया जाना होगा।
4. आनलाईन Form-A Part – II के कालम नं. 16 में भाग–2 अपलोड नहीं है जिसे अपलोड किया जावे।
5. आनलाईन Form-A Part – II के कालम नं. 05 से 13 तक के बिन्दुओं से संबंधित वचन पत्र एवं अतिरिक्त जानकारी Remark कॉलम में अपलोड किया जावे।

ऑफलाईन त्रुटियां

1. प्रकरण में आवेदित वन भूमि का कक्षवार विवरण तथा वनमंडलाधिकारी का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन भाग-2 में उक्त वन भूमि के रकबा को कक्षवार एकजाई कर छ.ग. शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग मंत्रालय के पत्र दिनांक 07.12.2022 में निर्धारित तालिका अनुसार तैयार कर प्रस्तुत करें।
2. प्रस्ताव के पृष्ठ कमांक–48 कंडिका –07 में प्रपत्र–4 में वनमंडलाधिकारी का हस्ताक्षर लिया जाना होता है किन्तु उक्त प्रमाण पत्र को आवेदक संस्थान द्वारा प्रमाणित किया गया है। वनमंडलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रपत्र–4 प्रस्तुत करें।
3. प्रस्ताव के पृष्ठ कमांक–58 कंडिका – 09, न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र में वनमंडलाधिकारी का हस्ताक्षर लिया जाना होता है। किन्तु उक्त प्रमाण पत्र को आवेदक संस्थान द्वारा प्रमाणित किया गया है। वनमंडलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।
4. प्रस्ताव के पृष्ठ क्रमांक–59 कंडिका – 10, अधिनियम उल्लंघन के संबंध में की गई कार्यवाही आवेदक संस्थान द्वारा हस्ताक्षरित हैं। वनमंडलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।
5. प्रस्ताव के पृष्ठ कमांक–69ए, कंडिका –11 के प्रपत्र–3, वन संरक्षक/वनमंडलाधिकारी का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन वनमंडलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित है। निरीक्षणकर्ता अधिकारी का नाम नहीं लिखा गया है। स्पष्ट नाम एवं पद नाम लिखा जावे।
6. प्रस्ताव के पृष्ठ कमांक–120, कंडिका–20 में आवेदक संस्थान द्वारा पंजीयन शुल्क रू. 6000/– एवं प्रसंस्करण शुल्क रू. 29000/– कुल राशि रू. 35000/– चालान के माध्यम से कोषालय में जमा किये जाने हेतु लेख किया गया है किन्तु चालान की प्रति संलग्न नहीं की गई है। चालान की प्रति संलग्न करें।
7. प्रस्ताव के पृष्ठ कमांक–121, कंडिका–21 में उल्लेखित प्रमाण पत्र में वन्यप्राणी परियोजना पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) का अभिमत लिया जाना होता है। किन्तु आवेदक संस्थान द्वारा उक्त प्रमाण पत्र की आवश्यकता न होना प्रमाणित किया गया है।

उक्त प्रस्ताव में आरक्षित वन रकबा 0.468 हे. एवं संरक्षित वन रकबा 0.727 हे. कुल रकबा 1.195 हे. गुरू घासीदास राष्ट्रीय उद्यान की सीमा से 10 कि.मी की परिधि में आने का उल्लेख किया गया है। अतः प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) का अभिमत लिया जाना होगा। अभिमत प्राप्त कर प्रस्तुत करे।

अतः उपरोक्तानुसार कमियों की पूर्ति हेतु प्रस्ताव मूलतः संलग्न प्रेषित है। तदनुसार संशोधित प्रस्ताव मुख्य वन संरक्षक सरगुजा वृत्त के माध्यम से प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

संलग्नः– 1. प्रस्ताव मूलतः (03 प्रति में)
2. संदर्भित पत्र–1 की छायाप्रति

अ.प्र.मु.व.स (भू–प्रबंध /वं. स. अ)
छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक/भू–प्रबंध/विविध/115– 908ए/ 11

रायपुर, दिनांक 03/~~12~~ 01/2023

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः

1. **मुख्य वन संरक्षक**, सरगुजा वृत्त, अम्बिकापुर, छत्तीसगढ़।
2. **महाप्रबंधक (कार्पो. अफेयर्स)** जियो डिजीटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड, चतुर्थ तल, अम्बुजा मॉल, विधानसभा रोड, मोवा (सड्डू), रायपुर (छ.ग.)।

संलग्नः– संदर्भित पत्र–1 की छायाप्रति

अ.प्र.मु.व.स (भू–प्रबंध /वं. स. अ)
छत्तीसगढ़

152 4 FC Line Letter 2022.doc

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़

अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, कैपिटल काम्पलेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर–492002

(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू-प्रबंध)

दूरभाष: 0771 – 2512840

ई – मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र0/भू–प्रबंध/विविध–ए/115–933/633

नवा रायपुर, दिनांक 21 /03/2024

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक
सरगुजा वृत्त, अंबिकापुर
छत्तीसगढ़

विषय :– सूरजपुर जिले के सूरजपुर वन मंडल अंतर्गत वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु जियो डिजिटल फाईबर प्राईवेट लिमिटेड द्वारा **Laying of OFC along with RoW (Road Corridor) under network strengthening and providing connecting to Rural Areas in Surajpur District of Chhatisgarh** हेतु क्षेत्रफल 7.396 हे. का व्यपवर्तन प्रस्ताव।

– पंजीयन कमांक – **FP/CG/OFC/146672/2021**

संदर्भः– मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वृत्त का पत्र क/मा.चि/न.क.–157/2023/3587 दिनांक 16.10.2023

–0–

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से सूरजपुर वन मंडल अंतर्गत आप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु जियो डिजिटल फाईबर प्राईवेट लिमिटेड द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के दिशा निर्देशों तथा नवीन चेक लिस्ट अनुसार 7.396 हे. का प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।

भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र दिनांक 29.12.2023 द्वारा जारी नवीन गाईड लाईन (दिनांक 01.12.2023 से प्रभावशील है) के अनुसार भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने के 1.00 हे. से अधिक के प्रकरणों में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु बाध्यता है एवं छुट नहीं दी गई है।

अतः भारत सरकार, नई दिल्ली के नवीन गाईड लाईन अनुसार वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के तहत् प्रकरण में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु गैर वनभूमि का चयन कर डी.जी.पी.एस. रिर्पोट एवं 10 वर्षीय सिंचित परियोजना प्राक्कलन तैयार कर संशोधित प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

तदानुसार प्रस्ताव 3 प्रतियों में मूलतः संलग्न प्रेषित है।

संलग्नः– प्रस्ताव 03 प्रति में (मय डी.जी.पी.एस. सर्वे रिपोर्ट)

अ.प्र.मु.व.सं (भू–प्रबंध /व. सं. अ)
छत्तीसगढ़

पृ. क्र0/भू–प्रबंध/विविध–ए/115–933/634

नवा रायपुर, दिनांक 21/03/2024

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः

1. वन मंडलाधिकारी, सूरजपुर वन मंडल, सूरजपुर, छत्तीसगढ़।
2. महाप्रबंधक (कार्पो. अफेयर्स) ज़ियो डिज़ीटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड चतुर्थ तल, अम्बुजा मॉल, विधानसभा रोड, मोवा (सड्डू), रायपुर (छ.ग.) ।

अ.प्र.मु.व.स (भू – प्रबंध / व.सं.अ)
छत्तीसगढ़

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, कोरिया वनमण्डल, बैकुण्ठपुर

Ph.No.:- (O)07836-232227, (R)232230, (F)233564 EMail:- dfo.korea_bkp@yahoo.co.in

क्रमांक/तक.क./3860

बैकुण्ठपुर, दिनांक 31/07/2024

प्रति,

अमन कुमार सिंह
असिस्टेंट वॉइज प्रेसिडेंट (कार्पो. अफेयर्स)
जियो डिज़ीटल फायबर प्राईवेट लिमिटेड,
रायपुर (छ0ग0)

विषय :- **Diversion of forest land for non forest purpose under Forest Conservation Act 1980 proposed for Jio Digital fiber private Ltd Raipur Laying Optical Fiber line in Korea Forest Division under Chhattisgarh State area 3.309 ha.**

सन्दर्भ :-
1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) छत्तीसगढ़, नवा रायपुर का पत्र कमांक/व.प्रा./प्रबंध/2637 नवा रायपुर, दिनॉक 20.06.2024
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध/व.सं.अ.) छत्तीसगढ़, नवा रायपुर का पत्र कमांक/भू–प्रबंध/विविध–1ए/115–908ए/10 दिनॉक 03.01.2023
3. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध/व.स.अ) छत्तीसगढ़, नवा रायपुर का पत्र कमांक भू–प्रबंध/विविध–ए/115–933/633 नवा रायपुर दिनॉक 01.03.2024

विषयान्तर्गत अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) छ0ग0, नवा रायपुर के उपरोक्त संदर्भित पत्र कमांक 1 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसकी प्रति आपको भी पृष्ठांकित है। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध/व.सं.अ.) छ0ग0 नवा रायपुर के उपरोक्त संदर्भित पत्र कमांक 2 के परिपालन में पूर्व में गुरूघासीदास राष्ट्रीय उद्यान के 10 कि.मी. की परीधि में आरक्षित वन 0.468 हे. एवं संरक्षित वन 0.727 हे. कुल 1.195 हे. क्षेत्र के लिए अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) के अभिमत प्राप्त करने हेतु निर्देश दिया गया था।

उक्त के परिपेक्ष्य में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) के संदर्भित पत्र कमांक 1 द्वारा यह निर्देश दिया गया है कि, इस प्रकरण में छत्तीसगढ़ राज्य, वन्य जीव बोर्ड के गठन न होने के फलस्वरूप अध्यक्ष महोदय के समन्वय से छत्तीसगढ़ शासन के पत्र कमांक 1820 दिनॉक 22.05.2024 से अनुमोदित किया गया है। विषयांकित प्रकरण के परिपेक्ष्य अनुमति प्राप्त करने हेतु छ.ग. राज्य वन्यजीव बोर्ड से निर्धारित प्रपत्र 1 से 3 में जानकारी पूर्ण कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये है। निर्देशन के परिपालन में आपके विभाग से संबंधित जानकारी यथाशीघ्र उक्त प्रपत्र में पूर्ण कर इस कार्यालय को प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध/व.सं.अ.) छ0ग0 नवा रायपुर के संदर्भित पत्र कमांक 3 द्वारा यह निर्देश गया है कि , भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र दिनॉक 19.12.2023 द्वारा जारी गाईड लाईन अनुसार ऑप्टिकल फायबर केबल बिछान के 1.000 हे0 से अधिक के प्रकरणों में क्षतिपूर्ति वृक्षरोपण का कार्य गैर वन भूमि किया जाना है।

अतः इस गाईड लाईन के परिपालन में गैर वन भूमि एवं डी.जी.पी.एस. सर्वे रिर्पोट की प्रति सहित जानकारी इस कार्यालय को प्रस्तुत करने का कष्ट करें, ताकि 10 वर्षीय सिंचित परियोजना तैयार कर वरिष्ठ कार्यालय को प्रेषित किया जा सके।

वनमण्डलाधिकारी
कोरिया वनमण्डल बैकुण्ठपुर

पृष्ठां. क्रमांक/तक.क./3861

बैकुण्ठपुर, दिनांक 31/07/2024

प्रतिलिपि :-
1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (वन्यप्राणी) छ0ग0, अटल नगर, नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (भू–प्रबंध/व.सं.अ.) छ0ग0, अटल नगर, नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वनवृत्त अम्बिकापुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

वनमण्डलाधिकारी
कोरिया वनमण्डल बैकुण्ठपुर

o/c

D:\WP II\Kanchan\Sharma\2024\DM-2024.docx

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, कोरिया वनमण्डल, बैकुण्ठपुर

Ph.No.:- (O)07836-232227, (R)232230, (F)233564 EMail:- dfo.korea_bkp@yahoo.co.in

क्रमांक/तक.क./ 1154 बैकुण्ठपुर, दिनांक 04/03/ 2025

प्रति,

अमन कुमार सिंह
असिस्टेंट वॉइज प्रेसिडेंट (कार्पो. अफेयर्स)
जियो डिजीटल फायबर प्राईवेट लिमिटेड,
रायपुर (छ0ग0)

विषय :- Diversion of forest land for non forest purpose under Forest Conservation Act 1980 proposed for Jio Digital fiber private Ltd Raipur Laying Optical Fiber line in Korea Forest Division under Chhattisgarh State area 3.309 ha.

सन्दर्भ :-

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) छत्तीसगढ़, नवा रायपुर का पत्र कमांक/व.प्रा./प्रबंध/2837 नवा रायपुर, दिनॉक 20.06.2024
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध/व.सं.अ.) छत्तीसगढ़, नवा रायपुर का पत्र कमांक/भू–प्रबंध/विविध–1ए/115–908ए/10 दिनॉक 03.01.2023
3. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध/व.स.अ) छत्तीसगढ़, नवा रायपुर का पत्र कमांक भू–प्रबंध/विविध–ए/115–933/633 नवा रायपुर दिनॉक 01.03.2024
4. कार्यालयीन पत्र कमांक/तक.क./3860 बैकुण्ठपुर दिनॉक 31.07.2024

——००-००*००-००——

विषयान्तर्गत उपरोक्त संदर्भित पत्र कमांक 4 का अवोलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध/व.सं.अ.) छ0ग0 नवा रायपुर के उपरोक्त संदर्भित पत्र कमांक 2 के परिपालन में पूर्व में गुरूघासीदास राष्ट्रीय उद्यान के 10 कि.मी. की परीधि में आरक्षित वन 0.468 हे. एवं संरक्षित वन 0.727 हे. कुल 1.195 हे. क्षेत्र के लिए अपर प्रधान मुख्य वन सरक्षक (वन्यप्राणी) के अभिमत प्राप्त करने हेतु निर्देश दिया गया था।

उक्त के परिपेक्ष्य में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) के संदर्भित पत्र कमांक 1 द्वारा यह निर्देश दिया गया है कि, इस प्रकरण में छत्तीसगढ़ राज्य, वन्य जीव बोर्ड के गठन न होने के फलस्वरूप अध्यक्ष महोदय के समन्वय से छत्तीसगढ़ शासन के पत्र कमांक 1820 दिनॉक 22.05.2024 से अनुमोदित किया गया है। विषयांकित प्रकरण के परिपेक्ष्य अनुमति प्राप्त करने हेतु छ.ग. राज्य वन्यजीव बोर्ड से निर्धारित प्रपत्र 1 से 3 में जानकारी पूर्ण कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये है। निर्देशन के परिपालन में आपके विभाग से संबंधित जानकारी यथाशीघ्र प्रपत्र में पूर्ण कर इस कार्यालय को प्रस्तुत करने हेतु तथा भारत सरकार द्वारा जारी गाईड लाईन अनुसार ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने के 1.000 हे0 से अधिक के प्रकरणों में क्षतिपूर्ति वृक्षरोपण का कार्य गैर वन भूमि किये जाने के संबंध में गैर वन भूमि एवं डी.जी.पी.एस. सर्वे रिर्पोट की प्रति सहित जानकारी इस कार्यालय को प्रस्तुत करन हेतु लेख किया गया था, ताकि 10 वर्षीय सिंचित परियोजना तैयार कर वरिष्ठ कार्यालय को प्रेषित किया जा सके, किन्तु उक्त जानकारी आज पर्यन्त तक आपसे अपेक्षित है। अतः पुनः लेख है कि वांक्षित जानकारी यथाशीघ्र पूर्ण कर इस कार्यालय को प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

वनमण्डलाधिकारी
कोरिया वनमण्डल बैकुण्ठपुर

पृष्ठां. क्रमांक/तक.क./ 1155 बैकुण्ठपुर, दिनांक 04/03/ 2025

प्रतिलिपि :–

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (वन्यप्राणी) छ0ग0, अटल नगर, नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (भू–प्रबंध/व.सं.अ.) छ0ग0, अटल नगर, नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वनवृत्त अम्बिकापुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

वनमण्डलाधिकारी
कोरिया वनमण्डल बैकुण्ठपुर

D:\WP II\Kanchan\Sharma\2025\DM-2025.docx

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, कोरिया वनमण्डल, बैकुण्ठपुर

Ph.No.:- (O)07836-232227, (R)232230, (F)233564 EMail:- dfo.korea_bkp@yahoo.co.in

क्रमांक/तक.क./ 649 बैकुण्ठपुर, दिनांक 26/03/ 2025

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक
सरगुजा वनवृत्त अम्बिकापुर

विषय :- **Diversion of forest land for non forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 Proposed for Jio Digital fiber Pvt. Ltd Raipur laying Optical Fiber Cable (OFC) Line in Korea Forest Division under Chhattisgarh State, area 3.309.**

पंजीयन कमांक / FP/CG/OFC/146529/2021

सन्दर्भ :- 1. अवर सचिव, छ0ग0, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्र कमांक एफ 5–21/2023/10–2 नवा रायपुर, अटल नगर दिनॉक 06.12.2024

2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्र/व (स. एवं सं) अ) छ0ग0 रायपुर का पत्र कमांक /भू–प्रबंध/विविध–ए/115–908/3000 नवा रायपुर, दिनॉक 19.12.2024

विषयांकित प्रकरण में छ0ग0 शासन के उपरोक्त संदर्भित पत्र कमांक – 01 द्वारा बिन्दु कमांक 04 में 03 बिन्दुओं की अतिरिक्त जानकारी चाही गई। बिन्दुवार जानकारी निम्नानुसार है :–

4(1)- गुरूघासीदास राष्ट्रीय उद्यान वर्तमान में टाईगर रिजर्व का कोर एरिया के 10 कि0मी0 की परिधि में पूर्व प्रेषित जानकारी अनुसार 23.900 – कि.मी. लम्बाई एवं चौड़ाई – 0.50 मीटर क्षेत्रफल – 1.195 हे0 है। **सुलभ सन्दर्भ हेतु जानकारी की छांयाप्रति संलग्न है।**

4(2)- बिन्दु कमांक 01 में वर्णित क्षेत्र टाईगर रिजर्व के कोर एरिया के 10 कि0मी0 की परिधि में आता है। अतः उक्त क्षेत्र कोर एरिया में नहीं आता है।

4(3)- प्रकरण 10 कि0मी0 की परिधि के अन्तर्गत होने के कारण प्रकरण में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) के अभिमत की आवश्यकता है।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) का पत्र कमांक/व0प्रा0/प्रबंध/2637 दिनॉक 20.06.2024 द्वारा गुरूघासीदास राष्ट्रीय उद्यान के 10 कि0मी0 की परिधि में

आरक्षित वन 0.468 हे0 एवं संरक्षित वन 0.727 हे0 कुल 1.195 हे0 होने के कारण अनुमति प्राप्त करने हेतु छ0ग0 शासन, वन्य जीव बोर्ड के निर्धारित प्रपत्र 1 से 3 में जानकारी पूर्ण करने के निर्देश दिये गये है। दिये गये उक्त निर्देशन के अनुपालन में श्री अमन कुमार सिंह, असिस्टेंट वॉइज प्रेसिडेंट (कार्पो. अफेयर्स), जियो डिजीटल फायबर प्राईवेट लिमिटेड, रायपुर (छ0ग0) को कार्यालयीन पत्र क्रमांक/तक.क/ 3860 दिनॉक 31.07.2024 एवं 2154 दिनॉक 04.03.2025 द्वारा लेख किया गया जा चुका है, किन्तु आवेदक विभाग से जानकारी आज पर्यनत तक अपेक्षित है। सुलभ सन्दर्भ हेतु पत्रों की छायाप्रति संलग्न है।

अतः प्रतिवेदन सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित है।

संलग्न – **उपरोक्तानुसार पृष्ठ कमांक 1 से 5**

वनमण्डलाधिकारी
कोरिया वनमण्डल बैकुण्ठपुर

पृष्ठां. क्रमांक/तक.क./ 650
प्रतिलिपि :–

बैकुण्ठपुर, दिनांक 26/03/ 2025

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (वन्यप्राणी) अरण्य भवन, अटल नगर, नवा रायपुर (छ0ग0) की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (भू–प्रबंध/व.सं.अ.) अटल नगर, नवा रायपुर (छ0ग0) की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. श्री अमन कुमार सिंह, असिस्टेंट वॉइज़ प्रेसिडेंट (कार्पो. अफेयर्स), जियो डिज़ीटल फायबर प्राईवेट लिमिटेड, रायपुर (छ0ग0) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

वनमण्डलाधिकारी
कोरिया वनमण्डल बैकुण्ठपुर

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, कोरिया वनमण्डल, बैकुण्ठपुर

Ph.No.:- (O)07836-232227, (R)232230, (F)233564 EMail:- dfo.korea_bkp@yahoo.co.in

क्रमांक/तक.क./2639 बैकुण्ठपुर, दिनांक 18/06/ 2025

प्रति,

अमन कुमार सिंह
असिस्टेंट वॉइज प्रेसिडेंट (कार्पो. अफेयर्स)
जियो डिज़ीटल फायबर प्राईवेट लिमिटेड,
रायपुर (छ0ग0)

विषय :– **Diversion of forest land for non forest purpose under Forest Conservation Act 1980 proposed for Jio Digital fiber private Ltd Raipur Laying Optical Fiber line in Korea Forest Division under Chhattisgarh State area 3.309 ha.**

सन्दर्भ :–
1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) छत्तीसगढ़, नवा रायपुर का पत्र कमांक/व.प्रा./प्रबंध/2637 नवा रायपुर, दिनॉक 20.06.2024
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध/व.सं.अ.) छत्तीसगढ़, नवा रायपुर का पत्र कमांक/भू–प्रबंध/विविध–1ए/115–908ए/10 दिनॉक 03.01.2023
3. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध/व.स.अ) छत्तीसगढ़, नवा रायपुर का पत्र कमांक भू–प्रबंध/विविध–ए/115–933/633 नवा रायपुर दिनॉक 01.03.2024
4. कार्यालयीन पत्र कमांक/तक.क./3860 बैकुण्ठपुर दिनॉक 31.07.2024, 1154 दिनॉक 04.03.2025 एवं पृ0 कमांक 650 दिनॉक 26.03.2025

—ꟿ*ꟿ—

विषयान्तर्गत उपरोक्त संदर्भित पत्र कमांक 4 का अवोलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध/व.सं.अ.) छ0ग0 नवा रायपुर के उपरोक्त संदर्भित पत्र कमांक 2 के परिपालन में पूर्व में गुरुघासीदास राष्ट्रीय उद्यान के 10 कि.मी. की परीधि में आरक्षित वन 0.468 हे. एवं संरक्षित वन 0.727 हे. कुल 1.195 हे. क्षेत्र के लिए अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) के अभिमत प्राप्त करने हेतु निर्देश दिया गया था।

उक्त के परिपेक्ष्य में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) के संदर्भित पत्र कमांक 1 द्वारा यह निर्देश दिया गया है कि, इस प्रकरण में छत्तीसगढ़ राज्य, वन्य जीव बोर्ड के गठन न होने के फलस्वरूप अध्यक्ष महोदय के समन्वय से छत्तीसगढ़ शासन के पत्र कमांक 1820 दिनॉक 22.05.2024 से अनुमोदित किया गया है। विषयांकित प्रकरण के परिपेक्ष्य अनुमति प्राप्त करने हेतु छ.ग. राज्य वन्यजीव बोर्ड से निर्धारित प्रपत्र 1 से 3 में जानकारी पूर्ण कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये है। निर्देशन के परिपालन में आपके विभाग से संबंधित जानकारी यथाशीघ्र प्रपत्र में पूर्ण कर इस कार्यालय को प्रस्तुत करने हेतु तथा भारत सरकार द्वारा जारी गाईड लाईन अनुसार ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने के 1.000 हे0 से अधिक के प्रकरणों में क्षतिपूर्ति वृक्षरोपण का कार्य गैर वन भूमि किये जाने के संबंध में गैर वन भूमि एवं डी.जी.पी.एस. सर्वे रिर्पोट की प्रति सहित जानकारी इस कार्यालय को प्रस्तुत करन हेतु लेख किया गया था, ताकि 10 वर्षीय सिंचित परियोजना तैयार कर वरिष्ठ कार्यालय को प्रेषित किया जा सके, किन्तु उक्त जानकारी आज पर्यन्त तक आपसे अपेक्षित है। अतः पुनः लेख है कि वांक्षित जानकारी यथाशीघ्र पूर्ण कर इस कार्यालय को प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

संलग्न – संदर्भित पत्र कमांक 1, 2, 3 एवं 4 की छांयाप्रति।

वनमण्डलाधिकारी
कोरिया वनमण्डल बैकुण्ठपुर

बैकुण्ठपुर, दिनांक / / 2025

पृष्ठां. क्रमांक/तक.क./
प्रतिलिपि :–
1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (वन्यप्राणी) छ0ग0, अटल नगर, नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (भू–प्रबंध/व.सं.अ.) छ0ग0, अटल नगर, नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वनवृत्त अम्बिकापुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

वनमण्डलाधिकारी
कोरिया वनमण्डल बैकुण्ठपुर